IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN: L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालय- आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005, फोन-(022) 66552779, फैक्स-(022) 22182352, ईमेलः idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइटः www.idbi.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों की 11वीं वार्षिक महासभा बुधवार, दिनांक 12 अगस्त 2015 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जाएगी :

सामान्य कारोबार

1. यथा 31 मार्च 2015 को बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशकों तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना;
2. वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश घोषित करना;
3. लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति करना, उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करनाः-

''संकल्प किया जाता है कि इस संबंध में जारी संबद्ध नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा बैंक के संस्था बहिर्नियम व अंतर्नियम और तत्समय लागू किसी अन्य कानून या दिशानिर्देश, यदि कोई हों, के अनुसरण में बैंक के निदेशक मंडल को, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) से इस संबंध में अनुमोदन प्राप्त होने पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (8) के निबंधनों के अनुसार (i) वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक(कों) की नियुक्ति और (ii) वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बैंक की डीआईएफसी, दुबई शाखा के लिए शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है. उपर्युक्त नियुक्तियां ऐसे निबंधनों एवं शर्तों तथा पारिश्रमिक पर होंगी जो बैंक का निदेशक मंडल लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर उपर्युक्त दोनों नियुक्तियों के लिए नियत करे.''

विशेष कारोबार

4. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करनाः

''संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के प्रावधानों और लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हों, बैंक के संस्था अंतर्नियम, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 तथा/या किसी अन्य सम्बद्ध कानून/दिशानिर्देश के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक), भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा/या इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी, यदि कोई है, के अधीन और ऐसे अनुमोदन प्रदान करने

IDBI BANK

IDBI BANK LIMITED

CIN: L65190MH2004GOI148838

Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005,
Phone-(022) 66552779, Fax-(022) 22182352,
e-mail: idbiequity@idbi.co.in, website: www.idbi.com

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 11th Annual General Meeting of the Members of IDBI Bank Limited will be held on Wednesday, August 12, 2015 at 3.30 p.m. at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, General Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 to transact the following business :

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Bank as at March 31, 2015 together with the Reports of Directors and Auditors thereon;
2. To declare Dividend for the year 2014-15;
3. To appoint Auditors and fix their remuneration and, in that behalf, to consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution:-

   "RESOLVED THAT pursuant to Section 139 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules issued in this regard, the Banking Regulation Act, 1949, Memorandum and Articles of Association of the Bank and any other law or guideline applicable, if any, for the time being in force, the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to (i) appoint Joint Statutory Auditor(s) of the Bank for the Financial Year 2015-16 as per the approval to be received in this regard from Reserve Bank of India (RBI) and (ii) appoint Branch Statutory Auditor for Bank's DIFC, Dubai Branch for the Financial Year 2015-16 in terms of Section 143(8) of the Companies Act, 2013 as per the approval to be received in this regard from RBI, on such terms, conditions and remuneration as the Board of Directors of the Bank may fix for both the above appointments upon recommendation of the Audit Committee."

SPECIAL BUSINESS

4. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Special Resolution:

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 62(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, Articles of Association of the Bank, the Banking Regulation Act, 1949, SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and/ or any other relevant law/ guideline(s) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and /or any other statutory/ regulatory authority as may be required in this regard and subject to such

के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसे निबंधनों, शर्तों तथा संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो, बैंक के निदेशक मंडल (इसमें इसके पश्चात् 'बोर्ड' के रूप में निर्दिष्ट जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गयी या इसके बाद गठित की जानेवाली कोई भी समिति शामिल होगी) के लिए भारत में प्रस्ताव दस्तावेज़/ विवरण पत्र अथवा ऐसे अन्य दस्तावेज के माध्यम से कुल अधिकतम ₹ 6000/- करोड़ राशि (प्रीमियम राशि सहित) के ₹ 10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की ऐसी संख्या आईडीबीआई बैंक के मौजूदा प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में इस प्रकार जोड़ी जाए कि केंद्र सरकार की बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में धारिता किसी भी समय 51% प्रतिशत से कम न हो, जोकि बाजार मूल्य पर छूट(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन) या प्रीमियम पर हो, एक या अधिक श्रृंखलाओं में एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (''एनआरआई''), कंपनियों (निजी या सार्वजनिक), निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, पात्र संस्थागत क्रेताओं (''क्यूआईबी'') जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक (''एफआईआई''), बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूच्युअल फंड, उद्यम पूंजी निधि, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य संस्थाओं, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकों को बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से प्रस्तावित करने, जारी करने तथा आबंटित करने (पक्के आबंटन तथा/या निर्गम के उस भाग के प्रतिस्पर्धी आधार पर तथा उस समय लागू कानून के द्वारा अनुमत किसी श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण के प्रावधान सहित) के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति दी जाए और एतद्द्वारा दी जाती है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन निम्नलिखित माध्यमों अर्थात् सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान निर्गम, पात्र संस्थागत नियोजन और/ या निजी नियोजन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित, के आधार पर इनमें से किसी एक या अधिक माध्यमों से होगा तथा ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, नियोजन और आबंटन कंपनी अधिनियम, 2013, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 के प्रावधानों तथा रिज़र्व बैंक, सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण, जो भी लागू हो, द्वारा जारी अन्य सभी दिशानिर्देशों के अधीन और ऐसे समय पर और ऐसे तरीके और ऐसे निबंधनों व शर्तों पर किया जाएगा जिसे निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार से उचित समझे.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार होगा कि वह इस तरह से मूल्य या मूल्यों को निर्धारित कर सके और जहां जरूरी हो, वहां अग्रणी प्रबंधकों तथा/ या हामीदारों और/ या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या अन्यथा ऐसे निबधनों एवं शर्तों पर जो बोर्ड के पूर्ण विवेकानुसार हों, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, अन्य विनियमों और किसी या अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुरूप हों, चाहे वे निवेशक वर्तमान में बैंक के सदस्य हों या न हों, ऐसा मूल्य तय कर सकेगा जो कि सेबी (आईसीडीआर) विनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो.''

terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called 'the Board' which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or may hereafter constitute to exercise its powers, including the powers conferred by this Resolution) to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of ₹ 10/- each and aggregating to not more than ₹ 6000 crore (inclusive of premium amount) to be added to the existing paid-up equity share capital of IDBI Bank in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity share capital of the Bank, whether at a discount (subject to Section 53 of the Companies Act, 2013) or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian Nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, Private or Public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors who are authorized to invest in equity shares of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by one or more of the following modes, i.e., by way of public issue, rights issue, preferential issue, qualified institutional placement and/or on a private placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949, the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and all other guidelines issued by RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times, in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices, in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI (ICDR) Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI (ICDR) Regulations".

''यह भी संकल्प किया जाता है कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीबद्धता करार के प्रावधानों, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंक के संस्था अंतर्नियम, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) और इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारियों (इसमें इसके पश्चात् सामूहिक रूप से ''उपयुक्त प्राधिकारी'' के रूप में उल्लिखित) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/या मंजूरियों के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/या मंजूरी (इसमें इसके पश्चात् ''अपेक्षित अनुमोदन'' के रूप में उल्लिखित) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत पात्र संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (जैसाकि आईसीडीआर विनियम, के अध्याय VIII में परिभाषित है) को एक या अधिक श्रृंखलाओं में, समय-समय पर पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में, जैसा कि सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VIII के तहत व्यवस्था है, नियोजन दस्तावेज और/ या अन्य किसी दस्तावेजों/ प्रलेखों/ परिपत्रों/ ज्ञापनों के माध्यम से और ऐसे तरीके से और ऐसे मूल्य, शर्तों और निबंधनों पर जो बोर्ड द्वारा सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 या तत्समय लागू कानून के अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए गए हों, के जरिए इस प्रकार इक्विटी शेयर जारी, प्रस्तावित या आबंटित कर सकता है कि किसी भी समय बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता 51% से कम न हो, बशर्ते कि इस प्रकार जारी इक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के प्रावधानों के अध्यधीन सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के संगत प्रावधानों के अनुसार नियत मूल्य से कम न हो.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि पात्र संस्थागत नियोजन के मामले में, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VIII के अनुसरण में प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अर्थ के अंतर्गत केवल पात्र संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) निर्गम के मामले में, प्रतिभूतियों का आधार मूल्य तय करने की संगत तारीख सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार होगी तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियत की जाएगी.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि क्यूआईपी के मामले में, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड, अपने पूर्ण विवेकानुसार, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के निबंधनों के अनुसार निर्धारित 'आधार मूल्य' से अधिकतम पांच प्रतिशत की छूट पर या ऐसी छूट पर, जो लागू विनियमों के अंतर्गत अनुमत हो, इक्विटी शेयर जारी कर सकता है. (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अधीन)''

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with Stock Exchanges, the provisions of the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949, Articles of Association of the Bank, the provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time, in one or more tranches, equity shares in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Share Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) [as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations] pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, through a placement document and / or such other documents/writings/ circulars/memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 or other provisions of law as may be prevailing at the time, provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived at in accordance with the relevant provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 subject to the provisions of Section 53 of the Companies Act, 2013".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI(ICDR) Regulations, 2009, the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations and that such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP issue, the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and shall be decided by the Board of Directors of the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP, in terms of the provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the Board may, at its absolute discretion, issue equity shares at a discount of not more than five percent or such other discount as may be permitted under applicable regulations to the 'floor price' as determined in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 [subject to the provisions of Section 53 of the Companies Act, 2013]."

''यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम, आबंटन और सूचीबद्धता को अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी देते/ प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार भारत सरकार/ रिज़र्व बैंक/ सेबी/ ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जिनमें बैंक के शेयर सूचीबद्ध हों अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने की शक्ति व अधिकार बोर्ड को होगा.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और /अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए इक्विटी शेयरों, यदि कोई हों, का निर्गम तथा आबंटन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन यथा प्रयोज्य किंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर किया जाएगा.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किये जाने वाले उक्त नए इक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे तथा लाभांश की घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि इक्विटी शेयरों के किसी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को सदस्यों से आगे कोई अनुमोदन प्राप्त किये बिना सार्वजनिक निर्गम की शर्तों तथा निवेशकों की ऐसी श्रेणी, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जानेवाले शेयरों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे, का निर्धारण करने तथा ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और ऐसे विलेख, दस्तावेज़ तथा करार निष्पादित करने के लिए, जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या अभीष्ट समझें तथा सार्वजनिक ऑफर, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में उठने वाले किसी प्रकार के प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने अथवा उनके समाधान के लिए निर्देश या अनुदेश देने और निबंधनों एवं शर्तों में ऐसे आशोधन, बदलाव, भिन्नता, परिवर्तनों, विलोपन, संवर्धन को स्वीकार और लागू करने, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त और उचित समझे, के लिए प्राधिकृत किया जाये और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है और कि इस संकल्प द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को अग्रणी प्रबंधक (कों), बैंकर (रों), हामीदार (रों), निक्षेपागार (रों) तथा/या ऐसी सभी एजेंसियों के साथ, जो इस प्रकार के इक्विटी के निर्गम में शामिल या उससे संबंधित हों, के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं के लिए करार करने और उसे निष्पादित करने और ऐसी सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, फीस या किसी अन्य रूप में पारिश्रमिक देने तथा ऐसी एजेंसियों के साथ सभी संबंधित व्यवस्थाएं, करार ज्ञापन, दस्तावेज़ आदि निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए बोर्ड को बैंक द्वारा नियुक्त अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, सलाहकारों और/अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by GOI / RBI / SEBI/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to and shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board, in its absolute discretion, deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in their absolute discretion, deem necessary, proper or desirable and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise with regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be

निर्गम के स्वरूप और शर्तों, साथ ही निवेशकों की श्रेणी जिन्हें शेयर आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, इक्विटी शेयरों की संख्या, मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम या छूट(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन), रिकॉर्ड तारीख या लेखा बंदी की तारीख नियत करना तथा संबंधित या प्रासंगिक मामले, भारत में और / अथवा विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे, के लिए प्राधिकृत किया जाए व एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों का बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाए, जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे और जो विधि द्वारा अनुमत हो.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को शेयरधारकों या प्राधिकरणों से कोई अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन प्राप्त किये बिना ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने, जिन्हें वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित व अभीष्ट समझें और शेयरों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने और आगे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और सभी दस्तावेज़ तथा लिखतों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने, जिसे वे अपने पूर्ण विवेकानुसार आवश्यक, अभीष्ट और अत्यावश्यक समझें, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा शेयरधारकों ने अपना स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को अपने सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक अथवा उप प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक (कों) या किसी अन्य वरिष्ठ कार्यपालक को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

5. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

''संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, सेबी के दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन जारी संबद्ध नियमों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंक के संस्था अंतर्नियम और अन्य लागू कानून, दिशानिर्देश, यदि कोई हो, के अनुसरण में तथा भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और/या किसी अन्य सांविधिक/विनियामक प्राधिकरण, जो इस संबंध में अपेक्षित हो, से ज़रूरी अनुमोदन, यदि कोई हो, की शर्तों पर तथा उसमें ऐसी शर्तों और निबंधनों और संशोधनों, जो उनके द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के लिए निर्धारित किया जाए, की शर्तों पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अथवा इस संकल्प के पारित की तारीख से एक वर्ष, जो भी बाद में हो, के दौरान एक या उससे अधिक भाग में निजी तौर पर शेयर आबंटन/सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से सीनियर/ इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड/ बासेल III अनुपालन टियर II / अतिरिक्त टियर I बॉण्ड को मिलाकर ₹ 20,000 करोड़ तक जुटाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को बैंक के सदस्यों की सहमति दी जाए तथा एतद्द्वारा सहमति दी जाती है.''

and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares are to be allotted, number of shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue, number of equity shares, the price, premium or discount (subject to Section 53 of the Companies Act, 2013) on issue, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board, in its absolute discretion, deems fit".

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares as are not subscribed to may be disposed off by the Board, in its absolute discretion, in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may, in its absolute discretion, deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise with regard to the issue of the shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may, in its absolute discretion, deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorities to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers, herein conferred, to the Chairman or Managing Director or to the Deputy Managing Director or Executive Director(s) or any other Senior Executive of the Bank, to give effect to the aforesaid Resolutions."

5. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 42 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, SEBI guidelines, relevant Rules issued under the Companies Act, 2013, Banking Regulation Act, 1949, Articles of Association of the Bank and other applicable laws, guidelines, if any and subject to approvals, if any, required from the Government of India, Reserve Bank of India, SEBI, Stock Exchanges and/or any other statutory/ regulatory authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting their approval, the consent of Members of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank for mobilisation in one or more tranches upto ₹ 20,000 crore comprising of Senior / Infrastructure Bonds, Basel III Compliant Tier II / Additional Tier I Bonds, by way of Private Placement / Public Issue during the FY 2015-16 or during one year from the date of passing this Resolution, whichever is later."

''यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को इस बारे में अपने अधिकारों को बैंक के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या उप प्रबंध निदेशक या बैंक के किसी अन्य निदेशक या अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के साथ-साथ ऐसे कार्य, कृत्य या अन्य चीजें करने या करवाने, जैसाकि इस बारे में आवश्यक या प्रासंगिक समझा जाए, के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

''संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 14 के प्रावधानों तथा अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसरण में तथा अधिनियम और इसके बनाए गए निर्मित नियमों के प्रावधानों और साथ ही भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन के प्रयोजन से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के संस्था अंतर्नियम में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाए तथा एतद्द्वारा परिवर्तन किया जाता है''

(i) अंतर्नियम 1 के बाद और अंतर्नियम 2 से पहले संस्था अंतर्नियमों में निम्नलिखित नया अंतर्नियम 1ए जोड़ा जाए:

''अंतर्नियम 1ए

कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत और इस संबंध में बनाए गए नियमों का पालन करेगी. जहां कहीं ये अंतर्नियम कंपनी अधिनियम, 1956 के निरसित प्रावधानों का संदर्भ देंगे, उक्त संदर्भ अथवा प्रावधान को इसके अंतर्गत बनाए नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के तद्नुरूप लागू प्रावधान(नों) के संदर्भ के रूप में समझा तथा पढ़ा जाए और तदनुसार अनुपालन किया जाए.''

(ii) संस्था अंतर्नियम के वर्तमान अंतर्नियम 116(1)(ए) को निम्नलिखित नए अंतर्नियम 116(1)(ए)(i) एवं (ii) से प्रतिस्थापित किया जाए :

अंतर्नियम 116(1)(ए)

कंपनी के निदेशक मंडल की रचना निम्नानुसार होगी :

(i) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त गैर-कार्यपालक (गैर-पूर्णकालिक) अध्यक्ष.

(ii) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रबंध निदेशक एवं सीईओ.

(iii) संस्था अंतर्नियम के वर्तमान अंतर्नियम 114(ए) को वर्तमान ''बारह'' निदेशकों के स्थान पर अधिकतम ''तेरह'' निदेशकों के प्रावधान के लिए संशोधित किया जाए.

(iv) संस्था अंतर्नियम के वर्तमान अंतर्नियम 116ए(i) को वर्तमान में उपलब्ध 4 स्वतंत्र निदेशकों के स्थान पर स्वतंत्र निदेशकों के रूप में सभी चयनित 5 निदेशकों [अंतर्नियम 116(1)(ई) के अंतर्गत निर्धारित] की नियुक्ति के लिए संशोधित किया जाए जो क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे.

(v) संस्था अंतर्नियम के वर्तमान अंतर्नियम 116ए(ii) को निम्नलिखित नए अंतर्नियम 116ए(ii) द्वारा परिवर्तित

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to the Chairman or Managing Director or Deputy Managing Director of the Bank, or any other Director or officer of the Bank as may be required or considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution."

6. To consider and, if thought fit, to pass, the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 14 of the Companies Act, 2013 (the Act) and other applicable provisions if any of the Act and Rules made thereunder and the Banking Regulation Act, 1949 and in order to comply with the provisions of the Act and Rules made thereunder as well as Government of India's directives, the Articles of Association of IDBI Bank Limited be and are hereby altered as follows :

(i) After the Article 1 and before the Article 2, the following new Article 1A be added in the Articles of Association :

"Article 1A

The company shall comply with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and in that regard, wherever these Articles give reference to the repealed provisions of the Companies Act, 1956, the same reference or provision be construed and read as the reference to the corresponding applicable provision(s) of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder and complied accordingly."

(ii) The present Article 116(1)(a) of the Articles of Association be replaced by the following new Article 116(1)(a)(i) & (ii):

Article 116(1)(a)

The Board of Directors of the company shall consist of :

(i) a Non-Executive (Non-whole-time) Chairman appointed by the Central Government

(ii) a Managing Director & CEO appointed by the Central Government.

(iii) The present Article 114(a) of the Articles of Association be modified to provide for "thirteen" maximum Directors on the Board instead of "twelve" presently provided.

(iv) The present Article 116A(i) of the Articles of Association be modified to provide for appointment of all 5 elected directors [prescribed under Article 116(1)(e)] as Independent Directors not liable to retire by rotation, instead of 4 Independent Directors presently provided.

(v) The present Article 116A(ii) of the Articles of Association be altered and replaced by the

तथा प्रतिस्थापित किया जाए :

''अंतर्नियम 116 ए (ii)

इन संस्था अंतर्नियमों में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अंतर्नियम 116ए(i) के साथ पठित अंतर्नियम 116(1)(ई) के अंतर्गत निर्धारित 5 निदेशकों में से एक महिला निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1)(बी) के प्रावधानों के अनुपालन में बोर्ड में नियुक्त की जाएंगी. ऐसा संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 116(1)(ए) से 116(1)(डी) के अंतर्गत बोर्ड में पहले से किसी महिला निदेशक के नियुक्त/नामित नहीं होने पर होगा.''

बोर्ड के आदेश से

(एम. एस. राघवन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 05236790)

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005

दिनांक : 4 जून 2015

following new Article 116A(ii) :

"Article 116A(ii)

Notwithstanding anything to the contrary contained in these Articles of Association, out of the 5 Directors prescribed under Article 116(1)(e) read with Article 116A(i), one Woman Director shall be appointed on the Board to comply with the provisions of Section149(1)(b) of the Companies Act, 2013, unless a Woman Director is already on the Board appointed / nominated under Article 116(1)(a) to 116(1)(d) of the Articles of Association."

By Order of the Board

(M.S. Raghavan)
Chairman & Managing Director
(DIN 05236790)

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400005

Dated : June 04, 2015

टिप्पणियां :

1. मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत विशेष कारोबार की मदों के लिए विवरण सहित) इसके साथ संलग्न हैं.

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के निबंधनों के अनुसार, महासभा में भाग लेने और उसमें मत देने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे वह सदस्य हो अथवा नहीं) सभा में भाग लेने एवं मत देने के लिए अपना प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता / सकती है लेकिन इस प्रकार से नियुक्त किए गए प्रॉक्सी को सभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा. प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बैठक में मत देने का अधिकार तभी होगा जब उन्हें नियुक्त करने वाले सदस्य ने पहले अपना वोट ई-वोटिंग या डाक द्वारा भौतिक मतपत्र के माध्यम से नहीं डाला है. इसके अलावा, कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(2) के साथ पठित धारा 105 के प्रावधानों के अनुसार, मताधिकार रखने वाली बैंक की कुल शेयर पूंजी में अधिकतम 10 प्रतिशत धारिता रखने वाले पचास से अनधिक सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है, बशर्ते कि मताधिकार रखने वाली बैंक की कुल शेयर पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक धारिता रखने वाला सदस्य किसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा. प्रॉक्सी फॉर्म इस सूचना के साथ संलग्न है. प्रॉक्सी लिखत तब वैध माना जाएगा जब :

NOTES:

1. Explanatory Statements in respect of items (including the ones for items of Special Business under Section 102 of the Companies Act, 2013) are annexed herewith.

2. In terms of Section 105 of the Companies Act, 2013, a member entitled to attend and vote at a general meeting is entitled to appoint another person (whether a member or not) as his/her proxy to attend and vote instead of himself/herself but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting. A person appointed as proxy shall be entitled to vote at the Meeting only in case the Member appointing him has not already cast his vote through e-voting or voting through physical ballot form by post. Further, as per the provisions of Section 105 read with Rule 19(2) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, a person can act as proxy on behalf of members not exceeding fifty and holding in the aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Bank carrying voting rights provided that a member holding more than ten percent, of the total share capital of the Bank carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as proxy for any other person or shareholder. A form of proxy is enclosed to this notice. No instrument of proxy shall be valid unless:

(क) यह सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में जिस सदस्य का नाम पहले हो, उसके द्वारा या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा कंपनी निकाय के मामले में यह उसकी सामान्य मुहर, यदि कोई हो, के तहत निष्पादित हो या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो; बशर्ते प्रॉक्सी लिखत किसी भी सदस्य द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित हो, जो किसी कारणवश यदि अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो सदस्य के अंगूठे का निशान वहां लगाया गया हो और वह किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेज या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो.

(ख) यह बैंक के पंजीकृत कार्यालय में, सभा के लिए निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले, विधिवत् रूप से स्टाम्प लगाकर जमा किया जाए और उसके साथ पॉवर ऑफ अटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित है अथवा उस पॉवर ऑफ अटर्नी के नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित प्रति जमा की जाए, बशर्ते ऐसा पॉवर ऑफ अटर्नी या अन्य प्राधिकार बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो.

(ग) प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बैठक में शामिल होते समय अपनी पहचान का प्रमाण देना होगा तथा इस उद्देश्य के लिए बैठक में शामिल होते समय उस व्यक्ति को अपने साथ पहचान का प्रमाण अर्थात् पैन कार्ड या वोटर आईडी या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट रखना होगा.

(घ) यदि किसी व्यक्ति को 50 से अधिक सदस्यों के लिए प्रॉक्सी नियुक्त किया जाता है तो वह किन्हीं भी पचास सदस्यों को चुन कर बैंक को निरीक्षण के लिए विनिर्दिष्ट अवधि शुरू होने से पहले अर्थात् मंगलवार, 11 अगस्त 2015 को अपराह्न 3:30 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) से पहले उसकी पुष्टि करेगा. यदि वह प्रॉक्सी सूचना नहीं देता है तो बैंक प्रथम प्राप्त 50 प्रॉक्सियों को वैध मानेगा.

3. सदस्यों / प्रॉक्सियों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे सभा में वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखों की अपनी प्रतियां तथा विधिवत् भरा हुआ पहचान फॉर्म साथ लाएं.

4. अंतर्नियम 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में यथा उपबंधित रूप में वार्षिक महासभा के लिए कोरम कारोबार के आरंभ होने पर सभा में कम से कम तीस सदस्यों (केंद्र सरकार के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर पूरा होगा.

5. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर, प्लॉट सं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 6716 2222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेलः einward.ris@karvy.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष,

(a) it is signed by the member or by his/her attorney duly authorised in writing or, in the case of joint holders, it is signed by the member first named in the register of members or his/her attorney duly authorised in writing or, in the case of body corporate, it is executed under its common seal, if any, or signed by its attorney duly authorised in writing; provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any member, who for any reason is unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto, and attested by a judge, magistrate, registrar or sub-registrar of assurances or other government gazetted officers or any officer of a Nationalised Bank or IDBI Bank Limited.

(b) it is duly stamped and deposited at the Registered Office of the Bank not less than 48 hours before the time fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any), under which it is signed or a copy of that power of attorney certified by a notary public or a magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

(c) The person appointed as a Proxy shall prove his identity at the time of attending Meeting and for the purpose, such person shall carry proof of identity, viz., PAN card or Voter ID or AADHAAR card or Driving License or Passport, with him at the time of attending the Meeting.

(d) If a person is appointed Proxy for more than fifty members, such Proxy shall choose any fifty Members and confirm the same to the Bank before the commencement of specified period for inspection, i.e., before 3:30 p.m. (IST) on Tuesday, August 11, 2015. In case such Proxy fails to inform, the Bank will consider the first fifty proxies received, as valid.

3. Members/Proxies/Authorised Representatives are requested to kindly bring the identification forms duly filled in along with their copies of Annual Report and Accounts, to the meeting.

4. The quorum for the Annual General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the Central Government) personally present in the meeting at the commencement of business.

5. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., Karvy Computershare Pvt. Ltd. at their address at Karvy Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500 032 [Tel.No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@karvy.com] or the Equity Cell of Board Department of IDBI Bank

20वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 [टेलीफोन नं. (022) 66552779, 66553062, 66553336 फैक्स नं. (022) 22182352 ईमेल: idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें.

6. सदस्यों का रजिस्टर बैंक के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों को कार्य समय के दौरान प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा.

7. सदस्यगण कृपया नोट करें कि सभा में कोई उपहार वितरित करने का प्रस्ताव नहीं है.

8. यथा संशोधित कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार:
   i) वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और बैंक इस संबंध में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है.
   ii) बैंक वोटिंग के लिए डाक द्वारा भौतिक मतपत्र फॉर्म या वार्षिक महासभा में मतदान पेपर के माध्यम से वैकल्पिक सुविधा भी प्रदान कर रहा है और एजीएम में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग या भौतिक मतपत्र पेपर द्वारा डाक के माध्यम से अपने वोट नहीं दिए हैं, वे वार्षिक महासभा में अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग कर पाएंगे.
   iii) ऐसे सदस्य जो वार्षिक महासभा से पहले रिमोट ई-वोटिंग या भौतिक मतपत्र के माध्यम से डाक द्वारा अपने वोट दे चुके हैं, और 5 अगस्त 2015 की निर्दिष्ट तारीख तक बैंक के सदस्य बने हुए हैं, वे भी वार्षिक महासभा में शामिल हो सकते हैं, परंतु वे वार्षिक महासभा में दोबारा अपना वोट नहीं दे पाएंगे.
   iv) लॉगिन आईडी के विवरण इस सूचना के साथ भेजे गए पहचान फॉर्म में दिए गए हैं.
   जैसा कि ऊपर कहा गया है, सूचीबद्धता करार के खंड 35बी की शर्तों के अनुसार, ऐसे शेयरधारक जिनके पास ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें मतदान के लिए भौतिक मतपत्र फॉर्म की सुविधा प्रदान की जाएगी.

9. सदस्यों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ **गुरुवार, 06 अगस्त 2015 से लेकर बुधवार, 12 अगस्त 2015** तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी. नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक महासभा सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर कार्रवाई शेयरधारकों, जिनके नाम बहियों में सदस्य के रूप में हैं या जो यथा दिनांक **05 अगस्त 2015** (अंतिम दिन) को शेयरों के हिताधिकारी स्वामी हैं, जो तारीख रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या डाक द्वारा भौतिक मतपत्र फॉर्म के माध्यम से या वार्षिक महासभा में वोट देने के लिए सदस्यों के वोटिंग अधिकार की गणना हेतु निर्दिष्ट तारीख के रूप में निर्धारित है, के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देकर किया जाएगा. यदि वार्षिक महासभा में लाभांश की घोषणा की जाती है तो भौतिक रूप में धारित शेयर के लिए लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम बैंक के सदस्य रजिस्टर बही में दर्ज हैं तथा जिनके वैध शेयरों का अंतरण बैंक के पंजीयक एवं अंतरण एजेंट के पास **05 अगस्त 2015** तक या उससे पहले दर्ज हो गया है. इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जो नेशनल

Ltd. at its Registered Office at 20th floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005 [Tel.No.(022) 66552779, 66553062, 66553336, Fax No.(022) 22182352, E-mail:idbiequity@idbi.co.in] with regard to any share related matter.

6. Register of members shall be available for inspection at the Registered Office of the Bank during office hours on all working days between 11 a.m. and 1p.m.

7. Members may please note that no gifts are proposed to be distributed at the meeting.

8. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended;
   i) the items of Business given in the AGM Notice shall be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the Members in this regard.
   ii) The Bank is also providing facility for voting alternatively through Physical Ballot Form by post or through polling paper at the AGM and Members attending the AGM who have not already cast their vote by remote e-voting or by Physical Ballot paper through post shall be able to exercise their right to cast vote at the AGM.
   iii) The members who have cast their vote by remote e-voting or through Ballot paper by post prior to the AGM, and continue to be Members of the Bank as on cut-off date of August 5, 2015 may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.
   iv) Details of login id are given in Identification Form sent alongwith this Notice.
   As aforesaid, in terms of Clause 35B of the Listing Agreement, Physical Ballot Forms are being simultaneously provided for voting by the shareholders who do not have access to e-voting facility.

9. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Thursday, August 06, 2015 to Wednesday, August 12, 2015** (both days inclusive). In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules, the items of Business given in AGM Notice may be transacted through electronic voting system by casting of votes by the Shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on **August 05, 2015** (End of Day), being the Cut-off date fixed for reckoning the voting rights of Members to be exercised whether by remote e-voting or by voting through Physical Ballot Form by post or by voting at the AGM. The dividend, if declared, in the Annual General Meeting will be paid to those shareholders whose names appear on the Register of Members of the Bank after giving effect to all valid share transfers lodged with the Registrar & Transfer Agents of the Bank on or before **August 05, 2015** in respect of shares held in physical form. In respect of shares held in electronic form, the dividend will be

सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (सीएसडीएल) द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्रस्तुत विवरणों के अनुसार **05 अगस्त 2015** को कारोबार की समाप्ति पर शेयरों के हिताधिकारी स्वामी हैं.

ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति निम्नानुसार होगी :

[क] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/ फोलियो संख्या एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवा के लिए पंजीकृत नहीं है और जिनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं.

i. ई-मेल खोलें तथा अपनी क्लाईंट आईडी और फोलियो संख्या को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करते हुए पीडीएफ फाइल खोलें अर्थात् 'IDBI Bank Limited e-Voting.pdf' को खोलें. उक्त पीडीएफ फाइल में ई-वोटिंग के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है. कृपया नोट करें यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड है.

ii. यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ को टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र खोलें.

iii. Shareholder 'Login' पर क्लिक करें.

iv. ऊपर चरण (i) में उल्लिखित अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में डालें. 'Login' पर क्लिक करें.

v. 'Password change' मेनु खुलेगा. इस पासवर्ड को अपनी पसंद के न्यूनतम 8 अंकों/ अक्षरों या इनके संयोजन से युक्त नए पासवर्ड से बदलें. कृपया नया पासवर्ड नोट कर लें. इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में अत्यंत सावधानी बरतें.

vi. 'e-Voting' का होम पृष्ठ खुलेगा. 'e-Voting'- Active Voting Cycles पर क्लिक करें.

vii. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के Electronic Voting Event Number (EVEN) को सिलेक्ट करें.

viii. 'Cast Vote' के खुलते ही आप 'e-Voting' के लिए तैयार हैं. मतदान की अवधि **शनिवार, 08 अगस्त 2015 (भारतीय मानक समयानुसार पूर्वाह्न 12:00 बजे) को शुरू होगी और मंगलवार, 11 जून 2015 को समाप्त होगी (भारतीय मानक समयानुसार शाम 5:00 बजे).**

ix. उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर अपना मत दे, 'Submit' पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट किए जाने पर 'Confirm' पर क्लिक करें.

x. पुष्टिकरण के बाद, 'Vote Cast Successfully' संदेश प्रदर्शित होगा.

xi. यदि आपने कारोबार की मद(दों) पर मत दे दिया है तो आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

xii. संस्थागत शेयर धारकों (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ़, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजें.

payable to the persons who are Beneficial Owners of shares as at the closing hours of **August 05, 2015** as per the details furnished by National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for this purpose.

The process and manner of e-voting shall be as follows:

[A] Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account / folio number has not been registered for e-voting services of NSDL and who do not have their existing user id and password.

i. Open e-mail and open PDF file viz; 'IDBI Bank Limited e-Voting. pdf ' with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password for e-voting. Please note that the password is an initial password.

ii. Launch internet browser by typing the URL: https://www.evoting.nsdl.com

iii. Click on Shareholder "Login"

iv. Put your user ID and password as initial password noted in step (i) above. Click Login.

v. Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Please take note of the new password. It is strongly recommended that you do not share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

vi. Home page of "e-Voting" opens. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles.

vii. Select Electronic Voting Event Number (EVEN) of IDBI Bank Limited.

viii. Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens. Voting period commences on and from **Saturday, August 08, 2015 (12:00 a.m. IST)** and ends on **Tuesday, August 11, 2015 (5:00 p.m. IST).**

ix. Cast your vote by selecting appropriate option and click on 'Submit' and also 'Confirm' when prompted.

x. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

xi. Once you have voted on the item(s) of business, you will not be allowed to modify your vote.

xii. Institutional shareholders (i.e., other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in